संख्या-3/2026-56-22-4-2026-2017561

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2233/नम-3/कार्य योजना/2025-26, दिनांक 20.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों के 48 निर्माण कार्यों हेतु कुल लागत रू0 1680.30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित एकमुश्त धनराशि रू0 1680.30 लाख (रूपया सोलह करोड़ अस्सी लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	कारागार का नाम	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि
1	जिला कारागार, मऊ	सेन्ट्रल वॉच टावर मय कैंटिन आदि सहित का निर्माण	52.36	52.36
2	डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्था, उ०प्र० लखनऊ (जे०टी०आई०)	145×05 वर्ग मीटर की रोड जेल वार्डर छात्रवास स्थित गंगा छात्रावास से यमुना छात्रावास तक सम्पर्क मार्ग हेतु सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	15.96	15.96
3	जे०टी०आई०	आर्मरी के सामने संतरी पोस्ट का निर्माण	5.46	5.46
4	केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज	सी०सी०टी०वी० एवं अन्य उपकरणों हेतु कन्ट्रोल रूम	21.13	21.13
5	उप कारागार, देववन्द	पृथकवास (06 नग) की टूटी छतों का पुर्ननिर्माण	11.99	11.99
6	जिला कारागार, फतेहपुर	अस्पताल गेट से लेकर पोस्ट नं0-2 तक (1.5 मी० चौडा एवं 225 मी० लम्बा) सी०सी० मार्ग एवं कवर्ड नाली का निर्माण	32.95	32.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	जिला कारागार, फतेहपुर	शस्त्रागार का निर्माण	11.87	11.87
8	जिला कारागार, प्रतापगढ	01 गोदाम (वस्त्र भण्डार हेतु) का निर्माण	16.28	16.28
9	केन्द्रीय कारागार, बरेली	पी०सी०ओ० हेतु भवन मय बरामदा सहित 01 नग	15.76	15.76
10	केन्द्रीय कारागार, बरेली	सन्तरी पोस्ट मेन गेट के बाहर	10.05	10.05
11	केन्द्रीय कारागार, बरेली	पाकशाला 01 व 02 में बर्तन धोने के शेडयुक्त टाईल्सयुक्त चट्टे	12.00	12.00
12	जिला कारागार, पीलीभीत	सी०सी०टी०वी० एवं अन्य उपकरणों हेतु कन्ट्रोल रूम	21.20	21.20
13	जिला कारागार, बिजनौर	गोदाम-01 नग (वस्त्र भण्डार हेतु) का निर्माण	15.39	15.39
14	जिला कारागार, बस्ती	मुख्य प्राचीर के बाहर सी०सी०रोड (लगभग 1350 र0मी०)	120.47	120.47
15	जिला कारागार, बस्ती	अभिलेखागार 01 नग	16.25	16.25
16	जिला कारागार, इटावा	सी०सी०टी०वी० एवं अन्य उपकरणों हेतु कन्ट्रोल रूम	20.19	20.19
17	जिला कारागार, इटावा	विद्युत व्यवस्था हेतु कक्ष	16.38	16.38
18	जिला कारागार, इटावा	आवासी परिसर हेतु इण्टर लाकिंग टाइल्स रोड लगभग 350 मी०×4.20 मी०)	46.12	46.12
19	जिला कारागार, कानपुर देहात	दिव्यांग बंदियों के लिए रैम्प	1.33	1.33
20	जिला कारागार, ज्ञानपुर	भोजन वितरण हेतु टाइल्स युक्त चटटे का कार्य	6.91	6.91
21	केन्द्रीय कारागार, बरेली	कार्नर वाच टावर 04 नग	102.67	102.67
22	केन्द्रीय कारागार, बरेली-2	सी०सी०टी०वी० एवं अन्य उपकरणों हेतु कन्ट्रोल रूम	21.97	21.97
23	जिला कारागार, मऊ	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	82.90	82.90
24	जिला कारागार, इटावा	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	80.04	80.04
25	जिला कारागार, बस्ती	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	90.16	90.16
26	जिला कारागार, मेरठ	एक्स-रे रूम 01 नग मय बरामदा सहित	20.25	20.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	जिला कारागार, कन्नौज	01 नग वाहन गैराज	11.78	11.78
28	जिला कारागार, कन्नौज	मेनवाल के अन्दर चारों ओर सी०सी० (1500 मी०× 1.5 मी०) रोड़	81.40	81.40
29	जे०टी०आई०	पुराने व्याख्यान कक्ष की शौचालय दीवारों तथा वायरिंग बदलने व फर्नीचर आदि की व्यवस्था सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	59.41	59.41
30	जिला कारागार, आगरा	02 नग गोदाम (01 नग एम०एस० के० व 01 नग वस्त्र भण्डार हेतु)	33.17	33.17
31	जिला कारागार, मथुरा	नव निर्मित सर्किल में स्थित बैरकों हेतु 90 मीटरसर्किल वाल का निर्माण	56.81	56.81
32	जिला कारागार, मैनपुरी	लिंक रोड से मेन गेट तक सी०सी०रोड का निर्माण(50मी0×4 मी०)	6.20	6.20
33	जिला कारागार, मैनपुरी	कारागार के बाहर वाहनों हेतु 02 नग गैराज का निर्माण	19.61	19.61
34	जिला कारागार, एटा	कारागार के अन्दर बंदी कैण्टीन के संचालन हेतु 01नग छोटे कक्ष का निर्माण (4मी०×3मी०)	6.60	6.60
35	केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज	जी+1 02 कार्यालय नीचे एवं 02 कार्यालय ऊपर टायलेट बाथरूम सहित	78.82	78.82
36	जिला कारागार, फतेहपुर	मुख्य द्वार के बाहर सुरक्षा के दृष्टिगत बाउंड्री वाल (लगभग 40 मी० 01 नग गेट सहित)	7.11	7.11
37	जिला कारागार, बहराइच	अभिलेखागार 01 नग का निर्माण	15.95	15.95
38	जिला कारागार, बाराबंकी	फाइबर शेड (सर्किल के भीतर)	5.53	5.53
39	जिला कारागार, मिर्जापुर	पाकशाला में सब्जी आदि के स्टोर हेतु गोदाम	15.66	15.66
40	जिला कारागार, मिर्जापुर	चक्र कार्यालय मय शौचालय 01 नग	16.39	16.39
41	जिला कारागार, अलीगढ़	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	79.34	79.34
42	जिला कारागार, मैनपुरी	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	84.00	84.00
43	जिला कारागार, एटा	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	79.06	79.06
44	जिला कारागार, फतेहपुर	01 नग डारमेट्री (16 क्षमता)	84.51	84.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45	जिला कारागार, फिरोजाबाद	रात्रि अधिकारी डियूटी कक्ष मय शौचालय	21.03	21.03
46	जिला कारागार, मैनपुरी	पटेल गेट से कैण्टीन तक 200 फुट लम्बी सीसी रोड का निर्माण	21.91	21.91
47	जिला कारागार, अलीगढ़	कारागार चिकित्सालय हेतु 01 नग किचन	10.66	10.66
48	जिला कारागार, एटा	रात्रि डियूटी अधिकारी कक्ष मय शौचालय	17.31	17.31
	योग		1680.30	1680.30

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा आवश्यकता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(13) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों पर कोई अतिरिक्त चार्जेज देय नहीं होगें। स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जायेंगे। यदि कार्य की लागत अथवा समय-सीमा बढ़ती है, तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,80,30,000 (रुपये सोलह करोड़ अस्सी लाख तीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.

को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2026-56-22-4-2026-2017561, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(पैक्सफेड)

(4)जिलाधिकारी,मऊ/लखनऊ/प्रयागराज/सहारनपुर/फतेहपुर/प्रतापगढ़/बरेली/पीलीभीत/बिजनौर/बस्ती/इटावा/कानपुर देहात/भदोही/मेरठ/कन्नौज/आगरा/मथुरा/मैनपुरी/एटा/बहराइच/बाराबंकी/मिर्जापुर/अलीगढ़/फिरोजाबाद/सोनभद्र

(5)वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, मऊ/लखनऊ/प्रयागराज/सहारनपुर/फतेहपुर/प्रतापगढ़/बरेली/पीलीभीत/बिजनौर/बस्ती /इटावा/कानपुरदेहात/भदोही/मेरठ/कन्नौज/आगरा/मथुरा/मैनपुरी/एटा/बहराइच/बाराबंकी/मिर्जापुर/अलीगढ़/फिरोजाबाद/ सोनभद्र

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।